/

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2026–27 / 519 भोपाल, दिनांक 6/04/2026

/ /आदेश/ /

याचिकाकर्ता श्रीमती अंगिता शाह पत्नी श्री पुष्पराज शाह, वार्ड क्रमांक 11 थाना टोला, ग्राम खुटार पोस्ट खुटार जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका WP 40748/2025 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2025 का आपरेटिव पैरा निम्नानुसार हैं :–

Considering the aforesaid scenario as the Commissioner Public Instruction has been approached by the petitioner by way of representation dated 05.08.2025 (Annexure P-9), this petition stands disposed off, without expressing anything on the merit of the case, with a direction to the respondent no.2/Commissioner Public Instructions to take a decision on the petitioner's request as highlighted by the present petitioner vide representation dated 05.08.2025 within a period of 15 days from the date of production of certified copy of this order by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law.

2. उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है, कि शासकीय सांदीपनी उमावि. हिर्रवाह जिला सिंगरौली में अतिथि शिक्षक वर्ग–2 लाईब्रेरियन हेतु आवंटित हुआ था, किन्तु दिनांक 26.07.2025 तक विद्यालय में ज्वाईन नहीं कराया गया। प्रार्थी को वर्ग–2 लाईब्रेरियन के पद पर अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित किये जाने का अनुरोध है।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर प्राचार्य सांदीपनी शासकीय उमावि. हिर्रवाह जिला सिंगरौली से प्राप्त जांच प्रतिवेदन क्रमांक / सांदीपनि / 2025–26 / 688 सिंगरौली में दिए गए तथ्यों एवं संचालनालय के निर्देश क्र / 199 दिनांक 26.06.2025 के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार हैं :–

3.1 शैक्षणिक सत्र 2024–25 में शासकीय सांदीपनी उमावि. हिर्रवाह वर्ग–2 लाईब्रेरियन के पद पर सुश्री रेखा त्रिपाठी द्वारा कार्य किया गया था।

3.2 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 18935 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2018 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया के संबंध में संचालनालय के परिपत्र क्र / 199 दिनांक 26.06.2025 की कण्डिका 2.6 में निम्नानुसार लेख था :– "**विगत सत्र 2024–25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है, उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आई.डी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।**" अर्थात पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को यथावत कार्य हेतु आमंत्रित किये जाने संबंधी निर्देश है।

3.3 उक्त निर्देश के अनुक्रम में यथावत उपस्थित कराए जाने की कार्यवाही दिनांक 30.06.2025 से दिनांक 02.07.2025 तक की गई। शैक्षणिक सत्र 2025–26 में लाईब्रेरियन वर्ग–2 के पद पर विगत वर्ष कार्यरत सुश्री रेखा त्रिपाठी की उपस्थिति प्रक्रियाधीन होने से प्राचार्य द्वारा याचिकाकर्ता श्रीमती अंगिता शाह को उपस्थित नहीं कराया गया।

Ajay K GT

3.4 वर्तमान में श्रीमती रेखा त्रिपाठी अतिथि शिक्षक के रूप में विद्यालय में उपस्थित है। याचिकाकर्ता श्रीमती अंगिता शाह द्वारा अन्य शालाओं में विकल्प दिया गया था किन्तु स्कोर कार्ड में अंक कम होने से उन्हें कोई शाला आवंटित नहीं हुई। लाईब्रेरियन वर्ग–3 के पद पर संबंधित विद्यालय में पद रिक्त होने से याचिकाकर्ता श्रीमती अंगिता शाह को उपस्थिति हेतु अवसर दिया गया एवं संबंधित द्वारा उपस्थिति हेतु सहमति दी गई थी, किन्तु संबंधित प्राचार्य शासकीय सांदीपनी उमावि. हिर्रवाह जिला सिंगरौली से लाईब्रेरियन वर्ग–3 के पद पर विद्यालय में उपस्थित नहीं हुई। वर्तमान में लाईब्रेरियन वर्ग–3 का पद रिक्त है यदि याचिकाकर्ता कार्य की इच्छुक है तो उक्त पद पर उपस्थित कराया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन निराकृत किया जाता हैं।

संचालक
(वास्ते आयुक्त)
लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र.

पृ.क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025–26/520
भोपाल, दिनांक 6/04/2026

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, विधि प्रकोष्ट इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, विधि कक्ष स्थानीय, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. श्रीमती अंगिता शाह पत्नी श्री पुष्पराज शाह, वार्ड क्रमांक 11 थाना टोला, ग्राम खुटार पोस्ट खुटार जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश

संचालक
(वास्ते आयुक्त)
लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र.

Ajay K GT